न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

अर्जुनसिंह पुत्र ओटसिंह जी राजपूत, जाति– राजपूत, निवासी–बडगांव, तहसील–शिवगंज

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला– सिरोही

राजस्व अपील संख्या: 36/2021

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 01 जून, 2022

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 52/2019 में पारित निर्णय दिनांक 15.2.2021 बाबत ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 840/6 रकबा 6 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि का अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों में की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का अतिचारी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने एवं जुर्माना आरोपित करने का आदेश पारित करने में कानूनन भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि का गलत रुप से अतिक्रमी माना है। दिनांक 15.12.2021 को अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था एवं अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका में उपस्थिति के हस्ताक्षर किये थे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने गलत कयास लगाकर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण स्वीकार करने का अंकन आदेशिका में किया है, जो सर्वथा विधि विरुद्ध है। अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित भूमि पर अतिक्रमण करना स्वीकार नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि दिनांक 15.2.2021 को पेशी पटवारी हल्का बडगांव की ओर से रिपोर्ट प्राप्त करेन हेतु नियत थी, लेकिन दिनांक 15.2.2021 को कोई रिपोर्ट पटवारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नही की गई। अपीलार्थी ने दिनांक 15.12.2021 की आदेशिका पर हस्ताक्षर किये उस समय आदेशिका लिखी हुई नही थी। यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्या 25/20[illegible] .3.2020 में दिये गये निर्देशों की पालना नही कर आलोच्य निर्णय [illegible] है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ [illegible] संख्या 840/6 की तरमीम रिपोर्ट व नक्शा प्राप्त किये बिना [illegible] निर्णय पारित [illegible] अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना पक्ष प्र[illegible] करने हेतु कोई समुचित [illegible]

......पेज नं. 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:23 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रदान नही किया है। अपीलार्थी भूमिहीन कृषक है, उसके परिवार में 6 पुत्र है एवं परिवार खेती पर निर्भर है। भूमि पर बहुत पुराना कब्जा है। इससे अपीलार्थी विवादित भूमि को भूमि आवंटन नियम 20 के तहत अपने नाम से नियमन करवाने का अधिकारी है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर विवादित भूमि का अपीलार्थी के पक्ष में नियमन करने हेतु तहसीलदार, शिवगंज को निर्देशित किया जावे। जबकि बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में प्रदत्त निर्देशों की पालना करते हुए बाद जांच अपीलार्थी का विवादित भूमि पर अतिक्रमण होना पाया जाने से विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा अपीलर्थी के विरुद्ध संवत 2076 में ग्राम बडगांव के खसरा संख्या 840/6 रकबा 6 बीघा किस्म खाल खद्दर भूमि पर अतिकमण बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध प्रकरण संख्या 52/2019 दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 52/2019 में पारित निर्णय दिनांक 11.11.2019 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर इस न्यायालय में राजस्व अपील संख्याः 25/2019 दर्ज रजिस्टर गई। इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्याः 25/2019 में पारित निर्णय दिनांक 17.3.2020 के द्वारा अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने के पारित निर्णय दिनांक 11.11.2019 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि खसरा संख्या 840/6 किस स्थान पर है का नजरी नक्शें में अंकन कर अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील संख्याः 25/2019 में पारित निर्णय दिनांक 17.3.2020 की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में पुनः प्रकरण संख्या 52/2019 दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हल्का पटवारी, बडगांव द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में प्रस्तुत रिपोर्ट के पुस्त भाग में नजरी नक्शें में खसरा संख्या 840 की भूमि को दर्शाया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने ग्राम बडगांव, पटवार हल्का बडगांव के खसरा संख्या 840/6 रकबा 6.00 बीघा किस्म खाल खद्दर राजकीय बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:06:23 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही